




क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25 <sup>4</sup> / <sub>18</sub>	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वारे केंद्र स्थल... जटवाडा 14.5.18 में पेश हो।
<p>शानसिंह</p> <p>चैरंजी माम</p> <p>मोहि लाल</p> <p>जगदीश</p>  <p>नि. महाराज</p> <p>रामजीलाल</p> 	14 <sup>5</sup> / <sub>18</sub>	<p>पत्रावली आज राजाराम लोक अदालत भण्ड आपके द्वारे केंद्र स्थल जटवाडा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित जिनकी पहिचान सटपटच प्राप्त पत्रावली जटवाडा ने की है वादी व प्रतिवादी ने लोक अदालत की भावना से परिहृत होकर राजारामा परचौराफा पेश किए राजारामा को इकारत वादी व प्रतिवादीगण को प्रकार सुनायी जाये जिसे पढ़ सुन समझकर सही दायर स्वीकार किया गया। राजारामा शक्ति सिद्ध किया गया।</p>
<p>गाम 2217</p> <p>सरपंच</p> <p>ग्राम पंचायत जटवाडा</p> <p>पं. स. कस्सी (जयपुर)</p>		<p>पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादी को राजारामा पर सुनने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वाद गस्त आपकी वारं 612/10, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6, 612/7, 612/8, 612/9, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 728/6, 728/7</p>

order taking  
incident No  
only  
दिनांक  
23/11/18

# फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>15/8 कुलक्षिता 16 कुल स्मका 26          मेधा 5 खिस्वा स्थित ग्राम जखवाडा          जखवाडा कस्बा जिला जयपुर के मखब. 3          के राजीनामा स्वीकार होने से मुनाफिक          राजीनामा जारी कर वाउ स्वीकार किया          जाता है एवं उक्त वाउ उक्त भूमि में          से प्रतिवर्षी सि. 1 के नाम पर 1/3 हिस्से          को विकसित भूमि को से प्रत्येक दोन के          वाला 1/2 दर हिस्सा 1/3 के वातेदार          वांछित कर जारी को व 1/2 दर हिस्सा          1/3 को वातेदार प्रतिवर्षी सि. 1 को          धारित किया जाता है तदप्रति 1/2 दर          कस्बा को छोड़ा दिया जाता है कि          उक्त वाउ उक्त भूमि पर उक्तानुसार          राजाव किर्डी से दुकीली व उमल          दरामद किया जावे। डिकी पर्याप्त है।          विक्रय व डिकी को राजीनामा जखवा          रेंडगा। निरुप व डिकी को पालना डे          तद्वीर जाती है। पत्रावली गवर्नर से          वस है।</p> <p>आज दिनांक 14.5.18 को यह          निर्णय व्याप आपके द्वार केमर कोर          जखवाडा से राजीनामा आर से मुनाफा          प्राप्त।</p> <p><u>Sund</u>          14.5.18</p>	<p style="text-align: right;">               सरपंच              ग्राम पंचायत जखवाडा              प. स. बरसी (जयपुर)           </p>

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई  
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.  
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. ज्ञानसिंह दत्तक पुत्र जगदीश उर्फ जगदीश नारायण पुत्र चिरंजीलाल जाति पूर्विया निवासी ग्राम जटवाडा रेलवे स्टेशन की ढाणी तह. बस्सी

बनाम

1. जगदीश उर्फ जगदीश नारायण पुत्र स्व. हीरालाल जाति पूर्विया निवासी ग्राम जटवाडा रेलवे स्टेशन की ढाणी तह. बस्सी।
2. चिरंजीलाल पुत्र स्व. हीरालाल जाति पूर्विया निवासी ग्राम जटवाडा रेलवे स्टेशन की ढाणी तह. बस्सी।
3. महादेव प्रसाद पुत्र स्व. हीरालाल जाति पूर्विया निवासी ग्राम जटवाडा रेलवे स्टेशन की ढाणी तह. बस्सी।
4. भौरीलाल पुत्र चिरंजीलाल जाति पूर्विया निवासी ग्राम जटवाडा रेलवे स्टेशन की ढाणी तह. बस्सी।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तह. बस्सी।
6. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 14.05.2018

मुकदमा नम्बर 333/16

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 612/10, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6, 612/7, 612/8, 612/9, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 728/6, 728/7, 728/8 कुल किता 16 कुल रकबा 26 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से की विवादित भूमि में से पैतृक होने के कारण 1/2 दर हिस्सा 1/3 के खातेदार काशतकार वादी को व 1/2 र हिस्सा 1/3 का खातेदार प्रतिवादी सं. 1 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर अमल दरामद किया जावे। .....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....  
खर्चा इस मुकदममें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....  
को अदा करें।



बस्सी मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2018 को जारी किया गया।

दस्तख्त.....  
ओहदा.....


14.5.18  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दाई	पैसे	मुद्दायलह	रुपये
स्टाम्प अर्जी		स्टाम्प अर्जी	
दावा		दावा	

could... 2

स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	
--	--	--	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

  
 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट ला जयपुर  
 माजिस्ट्रेट बस्सी